

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्र./ एफ.44-12/20-2/2017

भोपाल दिनांक.. 17/07/2017

आदेश

राज्य शासन द्वारा पूर्व में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क संबंधी सभी आदेश/निर्देशों को निरस्त करते हुए राज्य के शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2017-18 से शासकीय/स्थानीय निकाय/अशासकीय अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

स. क्र.	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा	500/-	500/-
2	मूल्यांकन/स्थानीय परीक्षा शुल्क	500/-	1000/-
3	साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शुल्क	500/-	500/-
4	विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	500/-	1000/-
5	वाचनालय एवं इंटरनेट	500/-	1000/-
6	संस्थान पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन	500/-	1000/-
7	विविध (शैक्षिक भ्रमण एवं नवाचार)	1000/-	1000/-
8	पुस्तकालय कॉशनिमनी	1000/-	-
9	संस्थान विकास शुल्क	3000/-	3000/-
10	संस्थान कॉशनिमनी	1000/-	-
	कुल-	9000/-	9000/-

2/ उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क मूल्क से देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक.. 17/07/2017

19 JUL 2017 क्र./ एफ.44-12/20-2/2017

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल
4. आयुक्त लोक शिक्षण/आदिवासी विकास म0प्र0 भोपाल।
5. संचालक राज्य शिक्षा केंद्र म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आर्डर बुक

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

17/7

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
//आदेश//

Private College

भोपाल दिनांक 6-6-18

क्रमांक एफ 44-11/2016/20-2 प्रदेश के मान्यता प्राप्त डी.एल.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए शुल्क का निर्धारण करने हेतु दिनांक 25.05.2018 को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की अनुशंसानुसार राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों के लिए वर्ष 2018-19 में निर्धारित शुल्क पुर्वानुसार निम्नवत् निर्धारित करता है।

क्र.	श्रेणी	निर्धारित शुल्क
1.	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु० 35,000/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष
2.	उक्त शहरों के अतिरिक्त अन्य नगर निगम वाले मुख्यालयों में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु० 32,500/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष
3.	शेष स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु० 30,000/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क पृथक से देय होगा। डी.एल.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क प्रतिवर्षानुसार ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कलावती उइके)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 6-6-18

क्रमांक एफ 44-11/2016/20-2
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
 2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
 3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 4. आयुक्त, लोक शिक्षण/आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल
 5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
 6. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
 7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
 8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
 9. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड, भोपाल
 10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/उपायुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.
 11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश
 12. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

राकेश मुले

(2)

Govt. DIETs 208

(45)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्र./एफ.44-12/20-2/2017

भोपाल दिनांक. 17/07/2017

आदेश

राज्य शासन द्वारा पूर्व में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क संबंधी सत्री आदेश/निर्देशों को निरस्त करते हुए राज्य के शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2017-18 से शासकीय/स्थानीय निकाय/अशासकीय अन्यर्थियों के रूप में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

स. क्र.	भद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा	500/-	500/-
2	मूल्यांकन/स्थानीय परीक्षा शुल्क	500/-	1000/-
3	साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शुल्क	500/-	500/-
4	विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	500/-	1000/-
5	बाधनालय एवं इंटरनेट	500/-	1000/-
6	संस्थान पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन	500/-	1000/-
7	विशिष्ट (शैक्षिक भ्रमण एवं नदाचार)	1000/-	1000/-
8	पुस्तकालय कौशलमयी	1000/-	-
9	संस्थान विकास शुल्क	3000/-	3000/-
10	संस्थान कौशलमयी	1000/-	-
	कुल-	9000/-	9000/-

2/ उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल, द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क न्यूनतम से देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

AMJ (S.4)